न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :डिक्री 356/2019
पंजीयन दिनांक: 15.09.2016

अब्दुल हुसैन पिता स्व. नसीर खान जी जाति मुसलमान निवासी भैंसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

–अपीलांट

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ राज0।
2. श्री भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ राज।

– रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा प्रकरण संख्या 33/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2016

उपस्थित वक्त बहस–(1) खूमराज कुमावत– अधिवक्ता अपीलान्ट
(2) पूरणमल स्वर्णकार– श्री राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 17.06.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि अपीलान्ट वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज आराजीयात जो कि ग्राम भैसरोडगढ तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत 2054 से सम्वत 2057 तक के अनुसार आराजी संख्या 156/41 रकबा 1.19 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 74 की आराजी संख्या 563/3 रकबा 1.34 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 2.53 हैक्टेयर दर्ज रेकॉर्ड होकर चली आ रही थी। उक्त आराजीयात का नवीन बन्दोबस्त अभियान के दौरान नये सैटलमेन्ट के पश्चात सैटलमेन्ट विभाग द्वारा मौके पर स्थित आराजीयात एवं राजस्व रेकॉर्ड का भलींभाति अवलोकन किये बिना व अपीलान्ट वादी को सुने बिना ही भूल व त्रुटिवश रकबा कम करते हुए पुराने खसरा नम्बर 156/41 रकबा 1.19 हैक्टेयर के स्थान पर नये खसरा नम्बर 521 का रकबा कम करके 0.37 हैक्टेयर, एवं पुराने खसरा नम्बर 563/3 रकबा 1.34 हैक्टेयर के स्थान पर नये खसरा नम्बर 1563 का रकबा कम करके 0.75 हैक्टेयर करते हुए नवीन बन्दोबस्त के पश्चात राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया, जो कि न्यायोचित नहीं है। साथ ही वादी/अपीलांट ने सैटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई भूल व त्रुटि को सुधारकर राजस्व रेकॉर्ड दुरूस्ती कर पुनः पूर्ववत् रेकॉर्ड अनुसार रकबा वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादी अपीलांट की खातेदारी में अंकन किया जाकर अपीलान्ट वादी को इस आशय की डिक्री व आदेश प्रदान किये जाने की इस्तदुआ की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलान्ट वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र के संबंध में दिनांक 11.07.2016 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गयी जिसमें वादग्रस्त आराजीयात का रकबा नवीन राजस्व रेकॉर्ड में कब्जे अनुसार अंकित होना बताते हुए एंव अपीलान्ट वादी द्वारा अपने कब्जे की कृषि भूमि पर कब्जा बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने व जमाबन्दी में भू-प्रबन्ध अनुसार अंकित किया गया रकबा को बढाया जाना न्यायोचित नहीं होना बताते हुए अपीलान्ट वादी का वादपत्र खारिज कर तदनुसार डिक्री जारी की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी द्वारा यह अपील दिनांक 09.09.2016 को अंदर मियांद प्रस्तुत की गई और अपील मे यह तथ्य अंकित किये गये कि उक्त प्रकरण में पत्रावली में जवाबदावा पेश होने के उपरान्त पत्रावली में तनकियात कायम हुई और पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत थी परन्तु दिनांक 11.07.2016 को बिना अपीलान्ट वादी को सूचित किये अपीलान्ट वादी का वादपत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट वादी ने स्वयं के कब्जे बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य चल रही थी, परन्तु अपीलान्ट वादी को साक्ष्य का अवसर दिये बिना ,अपीलान्ट वादी को बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया जो कि निरस्त किये जाने योग्य होकर अपील अपीलांट वादी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ विद्वान न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2016 को निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में पुनः प्रेषित किये जाने एवं पक्षकारान को सुनकर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये जाने का आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी, अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरण में साक्ष्य सबूत नहीं लिए गये। तनकियात कायम नहीं की गई। जवाबदावे के पश्चात न्यायिक प्रकिया की पालना नहीं की गयी । अपीलांट वादी को पत्रावली के लोक अदालत में रखे जाने की सूचना नहीं दी गई व लोक अदालत में वक्त सुनवाई पक्षकार की उपस्थिति नहीं होने के बावजूद निर्णय पारित कर दिया जो कि लोक अदालत की भावना के अनुरूप नहीं होने, एवं प्रकरण में पैरोकार सरकार के जवाबनुसार मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये बिना ही निर्णय परित किया गया जो कि न्यायोचित नहीं होने से अपील अपीलांट वादी स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजियात के मिलान क्षेत्रफल से साबिक व नवीन आराजी साबित होना नहीं पाया गया है। प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु कोई आवेदन वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय को विधी सम्मत बताते हुए अपील अपीलांट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ठ है कि प्रकरण दिनांक 14.05.2014 को वास्ते तनकियात नियत किया गया , जिसके लिए तारीख पेशी 11.06.2014 नियत की गई जो कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.05.2014 के अवलोकन से स्पष्ठ है। दिनांक 11.06.2014 से लेकर दिनांक 06.07.2016 तक की अवधी मे नियत विभिन्न तारीख पेशीयों में प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गई। तारीख

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पेशी दिनांक 06.07.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प मुकाम भैसरोडगढ में रखे जाने हेतु तारीख पेशी 11.07.2016 नियत की गई जिसकी कोई सूचना वादी अपीलांट को नहीं थी, जो कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.07.2016 के अवलोकन से स्पष्ठ है। साथ ही प्रकरण में पैरोकार सरकार के जवाब के बिन्दु संख्या 6 के विशेष कथन के अवलोकन से स्पष्ठ है कि पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में मौका स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया ,जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया।दिनांक 11.07.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प भैसरोडगढ़ में रखी जाकर प्रकरण में बिना मौका रिपोर्ट व बिना साक्ष्य सबूत के एवं तनकियात कायम किए बिना ही अपीलान्ट वादी का वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित करते हुए डिक्री जारी की गई, जो कि न्यायोचित नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 11.07.2016 न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाते है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात की मौका स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवायी जाकर, तनकियात कायम कर, पक्षकारान को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर अजसरे तनकीवार नवनिर्णय पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

संभाग राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ